सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की 41वीं बैठक दिनाँक 12 सितम्बर, 2019 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 41वीं बैठक दिनाँक 12 सितम्बर, 2019 को पूर्वान्ह् 11:00 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् थी:–

1.	डा0 आर0के0 मित्तल, कुलपति	**अध्यक्ष**
2.	श्री ओमप्रकाश शर्मा, मा0 सदस्य, विधान परिषद	**सदस्य**
3.	श्री जितेन्द्र पाल सिंह, मा0 विधायक	**सदस्य**
4.	डा0 अनीता लोधी राजपूत, मा0 विधायक	**सदस्य**
5.	श्रीमती सुषमा सिंह, सामाजिक महिला कार्यकत्री	**सदस्य**
6.	श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक	**सदस्य**
7.	डा0 के0के0 सिंह, सहायक महानिदेशक आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली।	**सदस्य**
8.	श्री ए0के0 सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)	**सदस्य**
9.	डा0 महेश कौशिक, कृषि वैज्ञानिक।	**सदस्य**
10.	श्री एस0के0 अग्निहोत्री, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ। (प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के प्रतिनिधि)	**सदस्य**
11.	डा0 ए0के0 सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/अपर निदेशक, मेरठ। (निदेशक पशुपालन के प्रतिनिधि)	**सदस्य**
12.	श्री शैलेन्द्र, उप कृषि निदेशक, मेरठ मण्डल, मेरठ। (कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय के प्रतिनिधि)	**सदस्य**
13.	डा0 आर0के0 गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ। (प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि)	**सदस्य**
14.	श्री अवध नारायण, वित्त नियंत्रक	**सचिव**

मा0 प्रबन्ध परिषद के अध्यक्ष एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया।

अवध नारायण
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

प्रस्ताव संख्या 41.1 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 40वीं बैठक दिनाँक 28 फरवरी, 2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 40वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

(कार्रवाईः वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 41.2 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 40वीं बैठक दिनाँक 28 फरवरी, 2019 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

श्रीमती सुषमा सिंह, मा0 सदस्य द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद की 40वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2019 के प्रस्ताव संख्या–40.2 के क्रम–2 पर इंगित विश्वविद्यालय में कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर/डाटा एंट्री आपरेटरों को डी0ए0, एच0आर0ए0, सी0सी0ए0, उपार्जित अवकाश की सुविधा के साथ–साथ महिला कार्मिकों को प्रसूति एवं बाल्यकाल देखभाल अवकाश की नियमानुसार देने के सम्बन्ध में वित्त नियन्त्रक द्वारा उ0प्र0 शासन को भेजे गये पत्रों में वर्णित कुछ अंशों पर आपत्ति व्यक्त की गयी। जिसपर वित्त नियन्त्रक द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों को अवगत कराया गया कि उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 3028/67–कृशिअ–0–04–1505/96 दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 में उल्लेखित शासनादेश संख्या–1808/12–8– 1506/96 दिनांक 14 मार्च, 1997 में बिन्दु–4 पर उल्लेख किया गया है कि ''चूंकि विश्वविद्यालय में एक सामान्य भ्रान्ति है कि प्रबंध मण्डल कोई भी निर्णय लेने में सक्षम है, इसलिए इन्हें यह स्पष्ट किया जाये कि उनके व्यय भार शासकीय अनुदानों पर आधारित हैं। अतः वित्तीय उपाशय के प्रत्येक निर्णय पर शासन की सहमति के बिना

अवध नारायण
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor

कार्यवाही न की जाये।" वर्णित है एवं इसका उल्लेख ही उन्होनें शासन को भेजे जाने वाले पत्रों में किया है।

इसके अतिरिक्त श्रीमती सुषमा सिंह, मा0 सदस्य द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत एन0पी0एस0 कार्मिकों की कटौती न होने पर भी नाराजगी भी व्यक्त की गयी एवं उनके द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद में लिए जाने वाले निर्णयों के सम्बन्ध में प्रेषित किये जाने वाले पत्रों की छायाप्रतियों को मा0 प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठकों में संदर्भित प्रकरणों के साथ संलग्न करने हेतु कहा गया। इस सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद के समस्त सदस्यों को आश्वस्त किया कि आगामी बैठकों के एजेण्डों के साथ उ0प्र0 शासन एवं अन्य को भेजे जाने वाले पत्रों/दस्तावेजों को भी संलग्न कर प्रस्तुत किये जायेगें। साथ ही एन0पी0एस0 कटौती के प्रकरण के सम्बन्ध में वित्त नियन्त्रक द्वारा अवगत कराया गया कि शासन से बजट प्राप्त होते ही एन0पी0एस0 कार्मिकों की कटौती प्रारम्भ कर दी जायेगी।

इसके उपरान्त माननीय प्रबन्ध परिषद की 40वीं बैठक दिनांक 28.02.2019 के निर्णयों की अनुपालन आख्या अनुमोदित की गयी।

(कार्रवाईः कुलसचिव (कार्मिक)/वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 41.3 : विद्वत परिषद की 70वीं बैठक दिनांक 29 मई, 2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विद्वत परिषद की 70वीं बैठक दिनांक 29 मई, 2019 में लिए गये निर्णयों कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में डा0 महेश कौशिक, मा0 सदस्य द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होनी वाली

अवध नारायण
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

विद्वत परिषद की बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों से बैठक में उपस्थित न होने का कारण पूछा जाये एवं अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के नाम बैठक के कार्यवृत्त में भी इंगित किये जाये। साथ ही साथ अनुपस्थित रहने वाले ऐसे अधिकारियों को अवकाश इत्यादि की सूचना बैठक से पूर्व ही मा0 कुलपति जी से प्राप्त करनी चाहिए।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या–41.4: विद्वत परिषद की 71वीं (विशेष) बैठक दिनांक 05 अगस्त, 2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विद्वत परिषद की 71वीं (विशेष) बैठक दिनांक 05 अगस्त, 2019 में लिए गये निर्णयों कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्याः 41.5– डा0 संदीप सिंह तोमर, सहायक प्राध्यापक (सस्य विज्ञान), कृषि महाविद्यालय की सेवायें समाप्त करने के संबंध में।

डा0 संदीप सिंह तोमर, सहायक प्राध्यापक (सस्य विज्ञान), कृषि महाविद्यालय की सेवायें दिनांक 26.08.2018 से समाप्त किये जाने तथा डा0 तोमर द्वारा धारित पद सहायक प्राध्यापक (सस्य विज्ञान) को पुनः विज्ञापित हेतु मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से अनुमोदन किया गया।

(कार्रवाईः कुलसचिव (कार्मिक))

अवध नारायण
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

प्रस्ताव संख्याः 41.6— सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के विभिन्न न्यायालयों में चल रहे वादों की पैरवी हेतु अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र कुमार त्यागी के पारिश्रमिक में 10 प्रतिशत वृद्धि करने के सम्बन्ध में।

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के विभिन्न न्यायालयों में चल रहे वादों की पैरवी हेतु अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र कुमार त्यागी के पूर्व में दिनांक 10.04.2018 से निर्धारित पारिश्रमिक रू0 9000/— प्रतिमाह में 10 प्रतिशत वृद्धि कर रू0 9900/— प्रतिमाह करने के सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(कार्रवाईः कुलसचिव (कार्मिक)/अध्यक्ष, विधिक समिति)

प्रस्ताव संख्याः 41.7— श्री बाबू, सेवानिवृत्त ट्रैक्टर चालक की सेवाओं को जो कृषि विज्ञान केन्द्र के पश्चात दिनांक 01.08.1997 से दिनांक 31.12.2012 तक की गयी थी तथा जिनका वेतन आहरण आई0सी0ए0आर0 मद था, उनकी सेवा को सामान्य मद में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

श्री बाबू पुत्र श्री इमामी सेवानिवृत्त ट्रैक्टर चालक निवासी ग्राम—अल्लेहपुर समसपुर, पोस्ट इस्लाम नगर, जिला बदायूं द्वारा की गयी सेवा को सामान्य मद में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों को अवगत कराया गया है कि प्रकरण के सम्बन्ध में संदर्भित दस्तावेज मंगाते हुए परीक्षण कराया जायेगा तथा इस प्रकरण पर कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर से भी पत्राचार किया जायेगा, तत्पश्चात प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए मा0 प्रबन्ध परिषद से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(कार्रवाईः कुलसचिव (कार्मिक))

अवध नारायण
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ—250110

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor

ताव संख्याः 41.8 विद्वत परिषद की 72वीं बैठक दिनांक 09 सितम्बर, 2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विद्वत परिषद की 72वीं बैठक दिनांक 09 सितम्बर, 2019 में लिए गये निर्णयों कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

उपर्युक्त बैठक के संकल्प संख्या–2–सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अधीन कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत कार्यरत Programme Assistant/Farm Manager /Programme Assistant (Computer) कर्मचारियों की प्रमोशन पालिसी लागू करने के सम्बन्ध में डा0 महेश कौशिक, मा0 सदस्य एवं डा0 अनीता लोधी राजपूत, मा0 सदस्या द्वारा कहा गया विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव तैयार कर उ0प्र0 शासन एवं आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली को प्रेषित किये जाये, जिससे कि इन कार्मिकों को प्रमोशन पॉलिसी का लाभ प्राप्त हो सके।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली की गाईडलाईन के अनुसार शिक्षण वर्ग के कार्मिकों को CAS का लाभ देय है एवं गैर–शैक्षणिक पदों को CAS का लाभ अनुमन्य नही है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा उ0प्र0 शासन एवं आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली से पत्राचार किया जा रहा है।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

प्रस्तावः 41.9– विश्वविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन केन्द्रीय पुस्तकालय भवन के ठीक सामने के पुराने भवनों को निष्प्रोज्य घोषित करने एवं इनको डिस्मेंटल करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन केन्द्रीय पुस्तकालय भवन की उपयोगिता प्रभावित होने के दृष्टिगत पुस्तकालय के मुख्य द्वार के ठीक सामने स्थित पुराने भवनों को निष्प्रोज्य करने की अनुमति

अवध नारायण
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor

के साथ–साथ उक्त भवनों को नीलामी के माध्यम से डिस्मेंटल करने की स्वीकृति शासन से प्राप्त किये जाने हेतु मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से अनुमोदन किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि इन भवनों में जो अनुपयोगी एवं जर्जर सामान/मशीनरी है, इनकी नीलामी विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाये और जो उपयोगी सामान/मशीनरी है, उन्हें सम्बन्धित प्रयोगशाला/वर्कशॉप में भेजा जाये।

(कार्रवाईः प्रभारी अधिकारी, निर्माण/कुलसचिव/ वित्त नियन्त्रक)

अन्य बिन्दुः–
प्रस्ताव संख्या–41.10:
मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्तावः–

1. श्री मनोहर सिंह तोमर, मा0 सदस्य द्वारा सुझाव व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में नवसंचालित महाविद्यालयों हेतु शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक स्तर के नये पदों पर भर्ती करने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से प्रयास किया जाये, जिससे कि नवसंचालित महाविद्यालयों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। जिसपर मा0 प्रबन्ध परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया।

(कार्रवाईः कुलसचिव (कार्मिक))

2. डा0 ए0के0 सिंह, पशुचिकित्साधिकारी/अपर निदेशक, मेरठ द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित वेटरनरी कॉलेज में स्थित पशु चिकित्सालय को एडवांस

अवध नारायण
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor

ट्रामा सेन्टर/रेफरल सेन्टर के रूप में स्थापित करते हुए क्षेत्र के पशुपालकों/किसानों को समुचित इलाज की सुविधा प्रदान की जा सकती है। इस सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में पशुओं को इलाज की बेहतर सुविधा प्रदान की जा रही है। यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक चिकित्सा पशुपालन विभाग द्वारा मुहैया कराई जाये एवं विश्वविद्यालय के अन्दर केवल उनके द्वारा रेफरल/एडवांस ट्रामा वाले केस चिकित्सा के लिये भेजे जाये।

(कार्रवाईः अधिष्ठाता, पशुविज्ञान एवं पशु चिकित्सा महाविद्यालय)

अन्त में सचिव मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

(अवध नारायण)
वित्त नियंत्रक/सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद

अवध नारायण
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

अनुमोदित

19.9.19

(डा0 आर0के0 मित्तल)
कुलपति/अध्यक्ष, मा0 प्रबन्ध परिषद

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut